

न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

कमांक/कोर्ट/2023/451  
तहसीलदार  
राजाखेडा

दिनांक - 27/6/23

विषय:- व मु0 उनवानी मुरारीलाल बनाम रामप्रकाश  
में लगे स्थगन आदेश को हटवाये जाने बाबत।

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0

उक्त उनवानी प्रकरण में विवादित आराजी ख0नं0 2382, 2384, 2392 स्थित ग्राम बहारी का पुरा तहसील राजाखेडा पर इस न्यायालय के आदेश कमांक/कोर्ट/2023/337 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। इस प्रकरण को लोक अदातल की भावना से वादी के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 27.06.2023 को राजीनामा से मूल दावा खारिज किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी पर लगे स्थगन आदेश को हटाये जाने का श्रम करें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पत्र की पालना की जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अन्दर सात दिवस में प्रस्तुत करें।

यह परवाना मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी किया गया।



  
 उपखण्डाधिकारी  
 राजाखेडा (धौलपुर)